छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 281/2007</u>

श्री इन्दर चंद सोनी,
जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 03 अगस्त 2007)

अपीलार्थी श्री इन्दर चंद सोनी निवासी–दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के आदेश दिनांक 09–01–2007 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के द्वारा ही एक अन्य प्रकरण शिकायत प्रकरण क्रमांक–785/2006 में भी जन सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–दुर्ग कार्यालय द्वारा जानकारी समय पर न देने के कारण शिकायत भी की है। दोनों प्रकरणों की विषय–वस्तु तथा पक्षकार एक ही हैं, अतः दोनों पक्षों का आदेश एक साथ दिया जा रहा है।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21–09–2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग कार्यालय से 04 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें कि वित्तीय वर्ष 2005–2006 में स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के संबंध में प्राप्त राशि, उसका व्यय, आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला/शिविर आयोजित करने उनका व्यय, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय आदि की जानकारी चाही गई है। यही जानकारी शिकायत प्रकरण में भी चाही गई थी। अपीलार्थी ने अपने अपील में निवेदन किया कि उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई, उसके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 09–01–2007 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया एवं आवेदक को जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि सिविल सर्जन नोडल अधिकारी (एड्स) के द्वारा जानकारी देने में विलम्ब हुआ है, अतः उक्त दोनों को 10,000–10,000/– रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ

सूचना–पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। संबंधित अधिकारियों क्रमशः डॉ0 अजय दानी एवं डॉ0 आर. के. पाण्डेय के द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। डॉ0 दानी के द्वारा बतलाया गया कि उन्हें पत्र विलम्ब से मिलने के कारण जानकारी पत्र मिलने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर दिनांक 26–12–2006 को प्रदान की गई। व्हाऊचर की प्रतियाँ भी दिनांक 13–01–2007 को प्रदान की गई। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की। डॉ0 आर. के. पाण्डेय के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय से संबंधित नहीं थी, अतः वे इसके लिये दोषी नहीं है। डॉ0एम0एल0मारकण्डेय जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि उनके द्वारा आवेदक का आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर भी संबंधित शाखाओं को भेज दिया गया था तथा शाखाओं से प्राप्त होने पर जानकारी तैयार की गई। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को भी दिनांक 09–02–2007 को 565 पेज़ की जानकारी देने के लिये अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पत्र भेजा गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये।

4/ आयोग के द्वारा यह माना गया कि जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब के फलस्वरूप अपीलार्थी को आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है, अतः आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत 500/– रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में विभाग की ओर से देने के आदेश दिये गये। जहाँ तक जानकारी विलम्ब से देने के लिये दोषी अधिकारी के संबंध में प्रकरण में आई तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जानकारी काफी विस्तृत थी तथा जानकारी विभिन्न कार्यालयों से जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारियों के द्वारा भी जानकारी एकत्रित करने में समय लगा। किन्तु यह पाया जाता है कि जन सूचना अधिकारी एवं डॉ0 अजय दानी एवं डॉ0 आर. पी. पाण्डेय के द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। इस प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं है, जिससे कि यह प्रमाणित हो कि जन सूचना अधिकारी एवं डॉ0 अजय दानी एवं डॉ0 आर. पी. पाण्डेय के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी गई, जिससे उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने का औचित्य नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी डॉ0 एम.एल.मारकण्डेय, डॉ0 अजय दानी एवं डॉ0 आर. पी. पाण्डेय को अर्थदण्ड हेतु जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किये जाते हैं। आयोग के समक्ष ही अपीलार्थी को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो गई है तथा अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिये आयोग के समक्ष ही विभाग द्वारा 500/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा चुकी है। अतः इस प्रकरण में अन्य कोई आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5/ उपरोक्त आदेश के साथ अपील प्रकरण क्रमांक 281/2007 एवं शिकायत प्रकरण क्रमांक 785/2006 का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त